

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024 / 101

1. यश अग्रवाल पुत्र श्री अनिल अग्रवाल, निवासी 69 शक्ति नगर, निवारू रोड, तहसील व जिला जयपुर ।
2. हर्ष अग्रवाल, पुत्र श्री अनिल अग्रवाल, निवासी 69 शक्ति नगर, निवारू रोड, तहसील व जिला जयपुर ।
3. आनन्द कुमार डालमियाँ पुत्र स्व. श्री कालूराम डालमियाँ, निवासी ग्राम राजपुर वास ताला, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री ताराचन्द पुत्र स्व. श्री काना कोली
2. श्री सीताराम पुत्र स्व. श्री काना कोली
3. श्री रमेश पुत्र स्व. श्री काना कोली
4. श्री नहनूराम पुत्र स्व. श्री कालू कोली
5. श्री प्रहलाद पुत्र स्व. श्री कालू कोली
6. श्री कैलाश पुत्र स्व. श्री कालू कोली
7. श्री लालू पुत्र स्व. श्री बिरधा कोली
8. श्री रामसहाय पुत्र जयनारायण कोली
9. श्री काल्या पुत्र स्व. श्री भौरया कोली
10. श्री महादेव पुत्र स्व. श्री भौरया बलाई
11. श्री मुंशी पुत्र खुदाबक्श
निवासी ग्राम नाभावाला, तहसील आँधी, जिला जयपुर ।

—रेसपोडेण्ट्स

12. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार आँधी, तहसील आँधी, जिला जयपुर ।
13. ताहिर हुसैन उर्फ नाहिर हुसैन पुत्र जाफर हुसैन, निवासी ग्राम नाभावाला, तहसील आँधी, हाल निवासी मकान नम्बर 1006, चार दरवाजा, मोती कटला, जयपुर

प्रारूपिक रेसपोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज भू-राजस्व अधि नियम विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर, जयपुर दिनांक 30-12-1975 (प्रकरण संख्या 113/ 1974 उनवानी काना व अन्य बनाम ताहिर हुसैन व अन्य) जिसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित विधिसम्मत आवंटन आदेश दिनांक 8-7-1971 को निरस्त किया गया है।

उपरिथत—

- 1 श्री संजय शर्मा, वकील अपीलान्ट ।
- 2 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक -24.04.2024


1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.1975 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा-5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 109 रकबा 40 बीघा 18 बीस्वा को आवंटन कमेटी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को उक्त भूमि में से 4 बीघा भूमि का आवंटन कर गैरखातेदारी स्वीकृत किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के स्व. पिता ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 13 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 14(4) पेश कर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन दिनांक 08.07.1971 निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 30.12.1975 को दिये गये।
3. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.1975 से व्यथित होकर अपीलांत यश अग्रवाल उक्त अपील प्रस्तुत कर, स्वीकार किये जाने तथा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 30.12.1975 को निरस्त किये जाने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को किया गया आवंटन आदेश दिनांक 08.07.1971 बहाल करने की प्रार्थना लगभग 49 वर्ष बाद की गई है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांत योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम नाभावाला, तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका खसरा नम्बर 109, रकबा 40 बीघा, 18 बिस्वा राजकीय सिवायचक भूमि थी। उपरोक्त वर्णित भूमि पर प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 13 अपने पूर्वजों के समय से चले आ रहे कब्जे काश्त की वजह से राजस्व भू-अभिलेखों में राजकीय सिवायचक भूमि के रूप में दर्ज उक्त भूमि को राजस्थान राज्य सरकार के आदेशों की अनुपालना में ग्राम डांगरवाडा में आयोजित राजस्व अभियान के दौरान आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर आवंटन कमेटी ने विधिवत रूप से प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को दिनांक 8-7-1971 को उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 109 में से 4 बीघा भूमि का आवंटन कर गैरखातेदारी का नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। साबिका खसरा नम्बर 109 में से प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को आवंटित 4 बीघा भूमि को राजस्व नक्शे में तरमीम कर, उसका नवीन खसरा नम्बर 109/6 कायम कर, गैर खातेदारी में अंकित किया गया तथा दिनांक 28.5.1990 को नामान्तकरण संख्या 332 के द्वारा आवंटी/प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। उल्लेखनीय है कि समस्त राजस्व भू-अभिलेखों में प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 13 का नाम विगत 44 वर्षों से निरंतर एवं निर्बाध रूप से बहैसियत गैर-खातेदार एवं खातेदार काश्तकार अंकित चला आ रहा था तथा वर्ष 2014 से अपीलार्थी फर्म बहैसियत क्रेता/खातेदार काश्तकार अंकित चली आ रही है। तथा दिनांक 20.10.2014 को नामान्तकरण संख्या 586 के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमि को अपीलान्त के नाम खातेदारी में अंकित कर दिया गया। प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को आवंटित उक्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के स्व. पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 11 ने असत्य, आधारहीन एवं विधिविरुद्ध शिकायत अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत दिनांक 14-10-1974 को जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे दर्ज कर जिला कलक्टर जयपुर ने प्रारूपिक रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही तथा आवंटन की पत्रावली व रजिस्टर तलब कर दिनांक 30-12-75 को विधि विरुद्ध निर्णय प्रसारित कर उपरोक्त आवंटन आदेश निरस्त फरमा दिया।
6. राजकीय अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 13 द्वारा आवंटन संबंधी सभी शर्तों का अवहैलना की गई है। आवंटी न तो ग्राम नाभावाला के रहने वाले हैं और न ही भूमिहीन कृषक हैं। ये जयपुर शहर में रहते हैं और दीगर कार्य करते हैं। इनका पेशा काश्तकारी नहीं है। उनके द्वारा आज तक आवंटित की गई भूमि पर कब्जा/काश्तकार्य नहीं किया गया है। ऐसी

स्थिति में आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से आवंटन आदेश **ab initio void** है। यह भी स्पष्ट है कि वे ग्राम नाभावाला में नहीं रहते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड अवलोकन पश्चात् ही अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम नाभावाला में रहने एवं पेशा काशतकार नहीं होने की दशा में एवं आवंटन संबंधी शर्तों की पालना नहीं करने के कारण विधिअनुरूप ही आवंटन निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उक्त मूल विवाद ग्राम नाभावाला तहसील जमवारामगढ़ हाल तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 109 रकबा 40 बीघा 18 बीस्वा के आवंटन को लेकर है। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में आवश्यक पक्षकार नहीं होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि आवंटनी ग्राम नाभावाला में नहीं रहता है और पेशा भी काशतकारी नहीं है और न ही कि वे आवंटन के समय भूमिहीन कृषक थे। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि आवंटनी द्वारा आवंटन की पालना नहीं करने की दशा में आवंटन आदेश **ab initio void** है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 08.07.1971 को राजहित में नियम विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 30.12.1975 को दिये गये जो कि उचित है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.12.1975 के लगभग 49 वर्षों बाद अपील पेश की है। जबकि वे अपीलाधीन आदेश में पक्षकार नहीं थे। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांत सारहीन व बलहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्त खारिज की जाती है एवं आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 08.07.1971 को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा राजहित में नियम विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 30.12.1975 की पालना में तहसीलदार आंधी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि को राजहित में वापस राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज किया जावे।


(सिद्धांत अरुण) (सिलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त
जयपुर